प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश
Directorate of Technical Education Uttar Pradesh
विकास नगर, कानपुर–208002

Vikas Nagar, Kanpur-208002

वेबसाइट/website : http://upted.gov.in/directorate

दूरभाष/Phone: 2582084 • फैक्स/Fax: 2580985 • ई–मेल/email:directordteup@gmail.com

:: आदेश ::

प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा सेक्टर), उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राजकीय पालीटेक्निकों के समूह ''ख'' श्रेणी में तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :–

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री :–	वर्तमान तैनाती का स्थान	संस्था जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है	अभ्युक्ति
1.	देवेन्द्र सिंह मारंगर, व्याख्याता इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	राजकीय महिला पालीटेकनिक, बादलपुर	महामाया पालीटेकनिक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, हाथरस	पारस्परिक स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर।
2.	पूनम यादव, व्याख्याता इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	महामाया पालीटेकनिक ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, हाथरस	राजकीय महिला पालीटेकनिक, बादलपुर	पारस्परिक स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर।

उपरोक्त कार्मिकों में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर अविलम्ब कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। स्थानान्तरण आदेश के अनुसार कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश शासन के पत्रांक–3/2018/1/3/96–का–4–2018, दिनांक 29.03.2018 तथा पत्रांक–7/2021 संख्या–1/3/96–का–4–2021, दिनांक 15.06.2021 में निहित प्रतिबन्धों/प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

(मनोज कुमार)
निदेशक।

संख्या 1201 /ई–2–दो–134(पी)(2021–22),कानपुर:दिनांक 15 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लोक भवन, लखनऊ को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–2, विधान भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
4. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।